रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 2002/अग्रहायण 1, 1924

No. 532] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 2002/AGRAHAYANA 1, 1924

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2002

सा.का.नि. 779(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1क) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात् एतदद्वारा, अखिल भारतीय सेवाएं (पेशन का संराशीकरण) विनियम, 1959 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम अखिल भारतीय सेवाएं (पेंशन का संराशीकरण) संशोधन विनियम, 2002 है।

(2) ये पहली अप्रैल, 1985 से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. अखिल भारतीय सेवाएं (पेशन का संराशीकरण) विनियम, 1959 में।

(क) विनियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्त:स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"4क. अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे सदस्य, जिन्होंने अपनी पेंशन के एक हिस्से का संराशीकरण करवाया है तथा पहली अप्रैल, 1985 अथवा इसके पश्चात् अपनी सेवानिवृत्ति की संबंधित तारीखों से 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं अथवा कर लेंगे उनकी पेंशन के संराशीकृत भाग की बहाली हो जाएगी :

बशर्ते कि सेवा के ऐसे सदस्य, जिन्होंने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत अपना संविलियन करवा लिया है और पेंशन के चालीस प्रतिशत तक के संराशीकृत मूल्य तथा पेंशन के चालीस प्रतिशत तक के संराशीकरण के पश्चात् बची पेंशन की बकाया राशि के संराशीकृत मूल्य के समतुल्य सेवांत लाभ प्राप्त कर लिया है/अथवा प्राप्त करने का विकल्प दिया है, इन विनियमों के अन्तर्गत किन्हीं भी प्रसुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, चूंकि वे अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति प्रसुविधा) नियमावली, 1958 के अन्तर्गत पेंशनर नहीं रहे :

आगे बशर्ते कि ऐसे मामले जिनमें पेंशनर ने 1-4-1985 अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष पूरे कर लिए थे तथा बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी तो उनके कानूनी वारिस भी 1-4-1985 से (अथवा सेवानिवृत्ति की तारीख से पन्द्रह वर्ष पूरे करने की तारीख, इनमें जो भी बाद में हो) पेंशनर की मृत्यु की तारीख तक की बकाया राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। इस प्रयोजन के लिए कानूनी वारिस भी पेंशन वितरण प्राधिकारी आदि को आवेदन दे सकते हैं :

परन्तु बशर्ते यह भी कि पेंशन के संराशीकृत मांग की बहाली के लिए पात्र प्रत्येक पेंशनभोगी को, पेंशन वितरण प्राधिकारी/बैंक/डाकघर को फार्म 'च' में आवेदन करना होगा जो पेंशन के संराशीकृत भाग की बहाली करेगा, यदि पेंशन भुगतान आदेश में संराशीकृत राशि का उल्लेख किया गया है तथा वह बकाया राशि, यदि कोई हो, के लिए भी आवेदन करेगा। ऐसे मामलों जहां पेंशन भुगतान आदेश में संराशीकृत भाग के बारे में सूचना नहीं होती है वहां पेंशन संवितरण कार्यालय, लेखा कार्यालयों से जो पेंशन भुगतान आदेश जारी करते हैं, सूचना प्राप्त करेंगे।

"फार्म च"

(विनियम 4 क देखें)

15 वर्ष के पश्चात् पेंशन के संराशीकृत भाग की बहाली के लिए आवेदन फार्म

(पेंशन के संराशीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूरा करने के पश्चात् दो प्रतियाँ प्रस्तुत की जाएं)

सेवा में,

.....

.....

.....

विषय : 15 वर्ष पूरा करने के पश्चात् पेंशन के संराशीकृत भाग की बहाली।

महोदय,

कृपया कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग) द्वारा जारी दिनांक ..... की अधिसूचना सं. 11025/1/2002-अ.भा.से.-II के अनुसार, मेरी पेंशन के संराशीकृत भाग की बहाली की जाए। अपेक्षित ब्योरे नीचे दिए गए हैं :—

1.	नाम	.....
2.	सेवानिवृत्ति की तारीख	.....
3.	पी.सी./पी.पी. ओ. नम्बर	.....
4.	मूल पेंशन की राशि	.....
5.	संराशीकृत पेंशन की राशि (यदि कोई है)	.....
6.	लेखा अधिकारी का नाम अर्थात् प्राधिकारी जिसने पी.सी./पी.पी.ओ. जारी किया है।	.....
7.	कोषागार/डाकघर/पी.पी.एम./अन्य पेंशन वितरण ऐजेन्सी का नाम	.....

तारीख : पेंशन भोगी के हस्ताक्षर

डाक पता : ब्योरे सत्यापित किए

हस्ताक्षर

पेंशन वितरण प्राधिकारी की रबड़ की मोहर

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में 1983 की रिट याचिका संख्या 3958-61 में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 9 दिसम्बर, 1986 के निर्णय को पहली अप्रैल, 1985 से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। उपर्युक्त निर्णय को कार्यान्वित किए जाने की दृष्टि से अखिल भारतीय सेवाएं (पेंशन का संराशीकरण) विनियम, 1959 को, तद्नुसार पहली अप्रैल, 1985 से संशोधित किया जा रहा है। यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 11025/1/2002-अ.भा.से.-II]

संगीता सिंह, निदेशक (सेवा)

पाद टिप्पण :—मूल विनियम दिनांक 24-06-1959 की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 714 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा इनमें संशोधन किए गए थे :—

क्रम सं.	सा.का.नि. संख्या	तारीख
1.	177	20-02-60
2.	1197	17-09-77
3.	227 (अ)	06-04-78
4.	941	14-07-79
5.	718 (अ)	19-12-97

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2002

G.S.R. 779 (E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1), read with Sub-section (1A) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following regulation further to amend the All India Services (Commutation of Pension) Rugulations, 1959, namely :—

1. (1) These regulations may be called the All India Services (Commutation of Pension) Amendment Regulations, 2002.

(2) They shall be deemend to have come into force with effect from the 1st day of April, 1985.

2. In the All India Services (Communtation of Pension) Regulations, 1959.

(a) after regulation 4, the following regulation shall be inserted, namely :—

"4A. Members of the All India Services who have commuted a portion of their pension and on 1st April, 1985 or thereafter have completed or will complete fifteen years from their respective dates of retirement will have their commuted portion of pension restored :

Provided that members of the service who got themselves absorbed under Central Public Sector Undertakings/autonomous bodies and have received/or opted to receive commuted value up to forty per cent of pension as well as terminal benefits equal to the commuted

value of the balance amount of pension left after commuting up to forty per cent of pension are not entitled to any benefit under these regulations as they ceased to be a pensioner under the All India Services (Death-Cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 :

Provided further that in a cases where the pensioner had completed fifteen years from the date of retirement on 1-4-1985 or thereafter and had died subsequently his/her legal hear(s) is/are also entitled to receive arrears w.e.f. 1-4-1985 (or from the date of completion of fifteen years from the date of retirement, whichever is later), till the date of the pensioner's death. For this purpose legal heirs may also apply to the pension disbursing authority, etc. :

Provided also that each pensioner who is eligible for restoration of his commuted portion of pension is required to apply in Form 'F' to the pension disbursing authority/ bank/post office who will restore the commuted portion of pension if the commuted amount has been mentioned in the pension payment order and will also pay the arrears, if any. In cases where the Pension Payment Order does not contain information regarding commuted portion, pension disbursing offices will obtain information from Accounts Offices which issued the Pension Payment Order."

"FORM F"

(*see* regulation 4A)

FORM OF APPLICATION FOR RESTORATION OF COMMUTED PORTION OF PENSION AFTER 15 YEARS

(To be submitted in duplicate on completion of 15 years from the date of commutation of pension)

To

.....

.....

.....

.....

Subject :— Restoration of commuted portion of pension after completion of 15 years

Sir,

Kindly restore my commuted portion of pension in terms of Notification No. 11025/1/2002-AIS(II) dated ..... issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, (Department of Personnel and Training). Requisite particulars are given below :—

1. Name in Block letters .....
2. Date of retirement .....
3. PC/Pension Payment Order No. .....
4. Amount of original pension .....
5. Amount of pension commuted, (if any) .....
6. Name of the Accounts Officer, viz. the authority who issued PC/Pension Payment Order .....
7. Name of Treasury/Post Office/ PPM/Other pension disbursing agency .....

Date : Signature of Pensioner

Postal address

Particulars verified

Signature

Rubber Stamp of Pension Disbursing Authority"

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to implement the judgement dated 9th December, 1986 of the Supreme Court of India in Writ Petition No. 3958-61 of 1983 in respect of the All India Services w.e.f. 1st April, 1985. With a view to implementing the aforesaid judgement, the All India Services (Commutation of Pension) Regulations, 1959 are being amended accordingly w.e.f. the 1st April, 1985. It is certified that none will be adversely affected by the restorspective operation of the proposed amendments.

[F. No. 11025/1/2002-AIS.II]

SANGEETA SINGH, Director (S)

Foot Note :—The principal regulations were published in the Gazette of India vide notification G.S.R. No. 714 dated 24-6-1959 and subsequently amended by :—

Sl.No.	G.S.R.No.	Date
1.	177	20-2-60
2.	1197	17-9-77
3.	227(E)	6-4-78
4.	941	14-7-79
5.	718(E)	19-12-97

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.